दैनिक जागरण

डेढ़ सौ करोड़ के करीब पहुंचा जब्ती का आंकड़ा

- पिछले लोस चुनाव के दौरान उप्र में 195 करोड़ की हुई थी कुल जब्ती
- अब तक 146.36 करोड़ की शराब, नकद, ड्रग आदि पकड़ी गई

महासमर 2024 सभी चुनें सही चुनें

2019 के चुनाव के सापेक्ष जब्ती की वर्तमान स्थिति

नकदी व अन्य	2019	13 अप्रैल 24
नकद	48.64	24.65
शराब	46.08	35.54
ड्रग	28.68	54.03
बहुमूल्य धातुएं	71.79	20.66
अन्य	00	11.48
कुल	195.19	146.36

(नोट : आंकड़े करोड़ों में)

राज्य ब्यूरो, जागरण•लखनऊ : उत्तर प्रदेश में चुनाव को धन-बल से प्रभावित करने के प्रयास हमेशा की तरह जारी हैं। पहले चरण के चुनाव से पूर्व ही 146.36 करोड़ रुपये की शराब, नकदी, ड्रग व बहुमूल्य वस्तुओं की हुई जब्ती इसकी पुष्टि कर रही है। यह आंकड़ा वर्ष 2019 के चुनाव के दौरान पूरे प्रदेश में जब्त की गई वस्तुओं और कुल नकदी 195.19 करोड़ का करीब 75 प्रतिशत है। जाहिर है चुनाव की समाप्ति तक यह आंकड़ा कई गुणा बढ़ा नजर आएगा।

आदर्श आचार संहिता को लेकर बरती जाने वाली सख्ती के तहत पूरे प्रदेश में आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नारकोटिक्स व अन्य विभागों द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान सर्वाधिक 54.02 करोड़ रुपये की कीमत की ड्रग पकड़ी गई है।

यह आंकड़े हैरान कर रहे हैं क्योंकि पिछले चुनाव में महज 28.68 करोड़ रुपये की ड्रग जब्त हुई थी। इसके सापेक्ष नकद धनराशि का आंकड़ा काफी कम है। बीते एक माह में 24.65 करोड़ रुपये कैश पकड़े गए हैं, जबकि 2019 में 48.64 करोड़ रुपये नकद पकड़े गए थे। शराब, नकद, ड्रग व बहुमूल्य वस्तुओं की धर पकड़ में सर्वाधिक सक्रियता पुलिस विभाग की देखने को मिली है। कीमतों की दृष्टि से अब तक हुई कुल जब्ती के आधे से अधिक (86.69 करोड़ रुपये) सिर्फ इसी विभाग ने पकड़े हैं। वहीं, आयकर विभाग की टीम ने 18.30 करोड़ रुपये, आबकारी विभाग की टीम ने 26.35 करोड़ रुपये, राजस्व खुफिया निदेशालय ने 13.37 करोड़ रुपये की शराब, नकदी, ड्रग व बहुमूल्य वस्तुएं पकड़ी हैं।

यह और उप्र की राजनीति, सरकार और अपराध संबंधित अन्य खबरें www.jagran.com पर पढ़ें

हिन्दुस्तान

निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार सामग्री हटवाई

लखनऊ। आदर्श आचार संहिता का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने में अब तक सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से कुल 96,02,386 प्रचार-प्रसार सामग्री हटायी गयी। इसमें सार्वजनिक स्थानों से 57,89,690 तथा निजी स्थानों से 38,12,696 प्रचार-प्रसार सामग्री हटाई गई। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों से वालराइटिंग के 6,15,504, पोस्टर के 27,25,637, बैनर के 16,52,019 एवं अन्य 7,96,530 मामलों में कार्यवाही की गई।

लाखों की शराब और 44 लाख की नकदी पकड़ी

लखनऊ। आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा रविवार को 243.13 लाख रुपये कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातु व नगदी जब्त की गई है। इसमें 44.82 लाख रुपये नकद धनराशि, 72.89 लाख रुपये कीमत की 26045.47 लीटर शराब, 40.87 लाख रुपये कीमत की 42999.01 ग्राम ड्रग शामिल है।

---

45 शस्त्रों के लाइसेंस निरस्त

लखनऊ। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में रविवार को अपराधिक व्यक्तियों के दो लाइसेंसी शस्त्र जब्त और 45 लाइसेंसी शस्त्रों के लाइसेंस निरस्त कर जमा कराए गए। सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए 50742 लोगों को पाबन्द किया गया। साथ ही 244 बिना लाइसेंस के अवैध शस्त्र, 263 कारतूस व 6 बम बरामद कर सीज किए गए।

अमर उजाला

आचार संहिता उल्लंघन के अब तक 54 मुकदमे

लखनऊ। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर अब तक 54 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि बिना अनुमति के सभा व भाषण करने, मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी बांटने, वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग एवं अन्य मामलों में 54 एफआईआर और 5 एनसीआर दर्ज की जा चुकी हैं।

इसके अलावा वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग के 1230 मामलों में तथा लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के 2188 मामलों में कार्रवाई की गयी है। विगत 1 मार्च से 13 अप्रैल तक कुल 146.36 करोड़ रुपये कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं व नकदी आदि जब्त हुई है। इसमें 24.65 करोड़ रुपये नकद शामिल है। शनिवार को मुरादाबाद के कुंदरकी में 11.51 लाख रुपये, रामपुर के मिलक में 10 लाख रुपये नकद पकड़े गए। लखनऊ में 84.56 लाख रुपये की बहुमूल्य धातु पकड़ी गयी है। ब्यूरो

<u>स्वतंत्र चेतना</u>

कानून व्यवस्था बनाए रखने संबंधी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का किया जा रहा है कड़ाई से अनुपालन

ब्यूरो प्रमुख

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। 16 मार्च, 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के अनुपालन में पुलिस, आयकर, आबकारी, नार्कोटिक्स एवं अन्य विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही है। सघन जाँच के लिए 513 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट तथा 1844 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित हैं। 16 मार्च से 13 अप्रैल, 2024 तक पुलिस विभाग द्वारा अपराधिक व्यक्तियों के 485 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किये गये। 4153 लाइसेंसी शस्त्रों के लाइसेंस निरस्त कर जमा कराये गये। इसी प्रकार सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 23,13,670 लोगों को पाबन्द किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किये गये है, जिनमें से 16,74,777 लोगों को पाबन्द किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा 6223 बिना लाइसेंस के अवैध शस्त्र, 6330 कारतूस, 2144.5 किलोग्राम विस्फोटक व 323 बम बरामद कर सीज किये गये। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 2248 केन्द्रों पर रेड डाली गयी और 115 केन्द्रों को सीज किया गया।

आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में 13 अप्रैल, 2024 को अपराधिक व्यक्तियों के 02 लाइसेंसी शस्त्र जब्त तथा 45 लाइसेंसी शस्त्रों के लाइसेंस निरस्त कर जमा कराये गये। सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 50742 लोगों को पाबन्द किया गया। साथ ही 244 बिना लाइसेंस के अवैध शस्त्र, 263 कारतूस व 06 बम बरामद कर सीज किये गये। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 118 केन्द्रों पर रेड डाली गयी और 08 केन्द्रों को सीज किया गया।

ग्रुप–5 समाचार

प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन में हटाये जा रहे पोस्टर, बैनर व अन्य प्रचार सामग्री

सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से अब तक कुल 96,02,386 प्रचार–प्रसार सामग्री हटायी गयी

वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग के 1230 मामलों में तथा लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के 2188 मामलों में हुई कार्यवाही

ग्रुप 5 संवाददाता

अभियान

- बिना अनुमति के सभा व भाषण करने, मतदाताओं को नकदी बांटने, वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग व अन्य मामलों में 54 एफआईआर दर्ज

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च, 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने में अब तक सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से कुल 96,02,386 प्रचार-प्रसार सामग्री हटायी गयी। इसमें सार्वजनिक स्थानों से 57,89,690 तथा निजी स्थानों से 38,12,696 प्रचार-प्रसार सामग्री हटायी गयी। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों से वालराइटिंग के 6,15,504, पोस्टर के 27.25.637, बैनर के 16,52,019 एवं अन्य 7,96,530 मामलों में कार्यवाही की गयी। इसी प्रकार निजी स्थानों में से वालराइटिंग के 4,96,242, पोस्टर के 17,39,233 बैनर के 9,24,206 एवं अन्य 6,53,015 मामलों में कार्यवाही की गयी। इसी प्रकार अब तक वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग के 1230 मामलों में तथा लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लघन के 2188 मामलों में कार्यवाही की गयी। बिना अनुमति के सभा व भाषण करने, मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी बांटने, वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग एवं अन्य मामलों में 54 एफआईआर दर्ज, 5 एनसीआर सहित कुल 59 प्रकरण में रिपोर्ट दर्ज की गयी है।

Times of India

Spl travel kits to help cops beat the heat on poll duty

Kapil.Dixit@timesgroup.com

Anuj Khanna

Cops are being provided first-aid boxes, fruits, biscuits, water bottles, essential medicines, ORS powder, in the summer travel kit

Prayagraj: To counter hot weather conditions, cops who have been assigned poll duties in the first phase of Lok Sabha polls in eight parliamentary constituencies, will be armed with special summer travel kits.

Each police personnel, apart from armed service weapons and magazines, will be provided first aid boxes, fruits, biscuits, water bottles, essential medicines, ORS powder, in the summer travel kit.

Around 5,000 policemen from seven districts of Prayagraj zone including Banda, Chitrakoot, Mahoba, Hamirpur, Kaushambi, Pratapgarh and Fatehpur have been assigned poll duties in eight districts of western UP on April 19.

The batches of policemen will be dispatched from Monday for election duties.

Additional DG (Prayargaj zone) Bhanu Bhaskar said, "After witnessing rise in mercury and sweltering weather conditions, we have prepared a special summer kit for the policemen who are assigned poll duties in other districts for different phases of polls."

The ADG said, "Zonal police administration has made all necessary arrangements and preparations to dispatch batches of policemen to the districts concerned and summer kit will be provided to each and every one of them before movement."

Moreover, cops have also been briefed about the preventive measures to protect them from heat wave conditions by the health experts.

विश्ववार्ता

चुनाव प्रचार सामग्री हटायी

लखनऊ। आदर्श आचार संहिता का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने में अब तक सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से कुल 96,02,386 प्रचार-प्रसार सामग्री हटायी गयी। इसमें सार्वजनिक स्थानों से 57,89,690 तथा निजी स्थानों से 38,12,696 प्रचार-प्रसार सामग्री हटाई गई। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों से वालराइटिंग के 6,15,504, पोस्टर के 27,25,637, बैनर के 16,52,019 एवं अन्य 7,96,530 मामलों में कार्यवाही की गई। इसी प्रकार निजी स्थानों में से वालराइटिंग के 4,96,242, पोस्टर के 17,39,233 बैनर के 9,24,206 एवं अन्य 6,53,015 मामलों में कार्रवाई की गई। इसी प्रकार अब तक वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग के 1230 मामलों में तथा लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के 2188 मामलों में कार्यवाही की गई। बिना अनुमति के सभा व भाषण करने, मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी बांटने, वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग एवं अन्य मामलों में 54 एफआईआर दर्ज, 05 एनसीआर सहित कुल 59 प्रकरण में रिपोर्ट दर्ज की गई है।

नवभारत टाइम्स

मतदाता जागरूकता के लिए अफसरों ने खेला क्रिकेट

बोलेगा नवभारत

जिला प्रशासन-11 से 77 रन से हारा एकत्व-11

■ एनबीटी, लखनऊ

मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए रविवार को केडी सिंह बाबू स्टेडियम में क्रिकेट मैच खेला गया। जिला प्रशासन-11 की टीम ने एकत्व-11 को 77 रन से हराया। जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार की तरफ से आयोजित इस मुकाबले में जिला प्रशासन-11 ने 12 ओवर में 124 रन बनाए। अपर जिलाधिकारी ट्रांस गोमती ने 40 रन और जिलाधिकारी ने 25 रन बनाए। जवाब में एकत्व-11 की टीम 48 रन ही बना सकी। जिला प्रशासन टीम से सचिन वर्मा, नायब तहसीलदार सदर और तहसीलदार सदर ने एक-एक विकेट लिया। लखनऊ मंडल के आरएसओ अजय सेट्ठी की देख रेख में हुए मैच में क्रिकेट कोच आसिफ रजा खान व अन्य मौजूद रहे।

पिछले लोकसभा में 15 लाख लोगों ने नहीं दिया था वोट

जिलाधिकारी ने बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव में लखनऊ में 35 लाख मतदाताओं में से लगभग 15 लाख ने वोट नहीं दिया था। इस बार मतदान प्रतिशत 70 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। सोशल इंफ्ल्युएंसर्स अपने प्लेटफार्म से लोगो को जागरूक करने का काम करेंगे।

मतदान की स्याही दिखाने पर सदर में मिलेगी छूट

■ एनबीटी, लखनऊः मतदान के बाद एक हफ्ते तक उंगली पर वोट की स्याही दिखाने वाले ग्राहकों को सदर बाजार में विशेष छूट और उपहार मिलेंगे। सदर आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष अखिल ग्रोवर ने रविवार को मतदाता जागरूकता अभियान में यह ऐलान किया। इस दौरान व्यापारियों ने 'पहले मतदान, फिर जलपान' का संकल्प लिया और दुकान-दुकान जाकर व्यापारियों व ग्राहकों से मतदान करने की अपील की। इसमें संगठन उपाध्यक्ष आशीष अग्रवाल, नगर मंत्री विनय केसरवानी, राजेश शर्मा भी शामिल रहे।

'लोकतंत्र के पर्व में सभी हिस्सा लें'

■ एनबीटी, लखनऊः ऐशबाग स्थित एक होटल में रविवार को अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं महिला व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बैठक कर सभी से लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने की अपील की। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने कहा कि राष्ट्रहित में व्यापारी समाज फिर से बीजेपी का समर्थन करेगा। बैठक में प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री शोभित टंडन, मंत्री जावेद बाग, प्रदेश अध्यक्ष रिपन कंसल, राष्ट्रीय मंत्री प्रदीप अग्रवाल, युवा प्रदेश अध्यक्ष अतुल गुप्ता व महिला प्रदेश अध्यक्ष अनीता जायसवाल समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

दीनदयालपुरम में बैनर, सड़क नहीं तो वोट नहीं

■ एनबीटी सं., लखनऊः शहीद भगत सिंह वॉर्ड स्थित पंडित दीनदयाल पुरम में सड़क न बनने से नाराज लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। स्थानीय लोग रविवार को हाथों में बैनर लेकर निकले। इन पर लिखा था '800 मीटर सड़क नहीं तो वोट नहीं'। स्थानीय संजय और अनिल सिंह के मुताबिक से पार्षद, मेयर, विधायक और सांसद से गुहार लगाने के बावजूद सड़क नहीं बन सकी। ऐसे में अब बिना सड़क बने बिना मतदान नहीं करेंगे। इसे लेकर बैनर भी टांगने के साथ ही घरों पर 'रोड नहीं तो वोट नहीं' लिखे पोस्टर चिपका दिए गए हैं।

<u>विश्ववार्ता</u>

मतदान जागरूकता के लिए हुआ क्रिकेट मैच

डीएम ने खेला क्रिकेट मैच, बनाए 22 बॉल पर 25 रन

» जिला प्रशासन ने की पहले बल्लेबाजी

विश्ववार्ता संवाददाता

लखनऊ। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु स्वीप योजना के अंतर्गत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगो को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए रविवार को ज़िला प्रशासन एकादश की टीम और एकत्व एकादश के बीच एक फ्रेंडली मैच का आयोजन किया गया। यह मैच केडी सिंह बाबू स्टेडियम में खेला गया। ज़िला प्रशासन 11 टीम में जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार, मुख्य विकास अधिकारी अजय जैन, अपर नगर आयुक्त ललित कुमार व पंकज श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी वित्त एवम राजस्व राकेश सिंह, अपर जिलाधिकारी ट्रांस गोमती राकेश, अपर नगर मैजिस्ट्रेट सचिन वर्मा, उप जिलाधिकारी मलिहाबाद सौरभ सिंह, तहसीलदार सदर, नायब तहसीलदार सदर व सरोजनीनगर रहे। टीम एकत्व 11 सौरभ, आमिस, आयुष, अपूर्व, विमल, आदित्य, आशुतोष, दीपक, अमन, रोहन व शैलेश रहे।

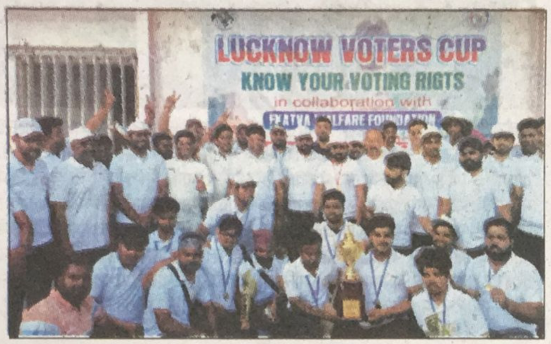

एकत्व 11 की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। ज़िला प्रशासन 11 ने निर्धारित 12 ओवर में तीन विकेट पर 124 रन बनाकर अपोजिट टीम को 125 रन का लक्ष्य दिया। जिला प्रशासन की तरफ से अपर जिलाधिकारी ट्रांस गोमती ने सर्वाधिक 25 बॉल में 40 रन बनाए वहीं ज़िलाधिकारी ने 22 बॉल में 25 रन बनाये।

इसके साथ ही जिला प्रशासन 11 की सटीक गेदबाजी के सामने एकत्व 11 की टीम ने 12 ओवर में पांच विकेट मं मात्र 48 रन बनाये। इस प्रकार ज़िला प्रशासन की टीम 77 रनो से विजय हुई। जिला प्रशासन 11 की तरफ से सचिन वर्मा द्वारा 2 ओवर में 11 रन देकर 1 विकेट लिया, नायब तहसीलदार सदर द्वारा 2 ओवर में 4 रन देकर 1 विकेट और तहसीलदार सदर द्वारा 1ओवर में 4 रन देकर 1 विकेट लिया।

इस अवसर पर ज़िलाधिकारी ने बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव में लखनऊ में 35 लाख लोगो में से लगभग 15 लाख लोगो ने वोट नहीं दिया था जिसको युवा साथी के सहयोग से इस बार 70 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। आगामी 20 मई को होने वाले लोकसभा सामान्य निर्वाचन में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाकर सोशल इंफ्ल्युएंसर्स अपने अपने प्लेटफार्म से लोगो को जागरूक करने का काम करेंगे। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी न्यायिक, उप जिलाधिकारी सदर, तहसीलदार बीकेटी सहित केडी सिंह बाबू स्टेडियम के छेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अजय कुमार सेट्ठी की देख रेख में इस मैच का आयोजन किया गया। जिसमें सहयोगी के रूप में क्रिकेट कोच आसिफ़ रजा ख़ान भी मौजूद रहे।

राष्ट्रीय सहारा

बूथों पर घटती-बढ़ती रही मतदाताओं की संख्या

■ रवीन्द्र प्रताप सिंह
लखनऊ। एसएनबी

■ कभी पूरे एक गांव के लिए बनता था एक बूथ

■ छोटे दो-तीन गांव भी एक बूथ पर डालते थे वोट

■ शहर में भी पूरे मोहल्ले को एक स्थान पर डालना पड़ता था वोट

■ मतदान की समस्या के मद्देनजर बूथ पर निर्धारित किया गया मतदाताओं का मानक

■ 2022 में 1200 थे तो 2024 के चुनाव में एक बूथ पर होंगे 1500 मतदाता

निर्वाचन आयोग की ओर से इसका पूरा ध्यान रखा जाता है कि मतदान के दिन मतदाताओं को अपने मताधिकार करने में कोई परेशानी न हो। इसी को लेकर एक मतदेय स्थल पर मतदाताओं की संख्या तय की जाती है। हालांकि यह संख्या अलग-अलग चुनावों के समय घटती-बढ़ती रही है। चुनाव व्यवस्था लागू होने के समय मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की संख्या का कोई निर्धारण नहीं होता था और पूरे गांव के गांव के लिए एक ही बूथ तैयार होता था। शहरी क्षेत्रों में भी मोहल्लेवार वोट डलवाये जाते थे लेकिन मतदान की समस्या आने पर बूथों पर मतदाताओं की संख्या तय की गयी। मतदान का सरलीकरण व ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने के लिए इस व्यवस्था में दिन-प्रतिदिन सुधार की कोशिश की जा रही है।

मतदान निर्बाध रूप से सम्पन्न हो और किसी तरह की बाधा न उत्पन्न हो, इसके लिए जरूरी है कि मतदान केन्द्र पर पहुंचने वाला अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी रुकावट के आसानी से कर सके। इसके लिए यह भी जरूरी है कि मतदेय स्थल पर मतदाताओं की संख्या इतनी रखी जाए कि वह समय के साथ आसानी से वोट डाल सकें। इसी के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने एक मतदेय स्थल पर मतदाताओं की संख्या तय की। निर्धारित संख्या से ज्यादा मतदाता होने पर उनके लिए उसी मतदान केन्द्र पर दूसरा मतदेय स्थल बनाने की व्यवस्था तय की गयी।

हालांकि देश की स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1951-52 में हुए पहले चुनाव में मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की संख्या का कोई निर्धारण नहीं था। उस समय लोकसभा व विधानसभा चुनाव के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जो मतदान केन्द्र बनाये जाते थे, उनमें एक ही मतदेय स्थल पर दो-तीन गांव रख दिये जाते थे। यदि गांव की आबादी ज्यादा होती थी तो भी एक ही मतदेय स्थल पर सभी का मतदान करा दिया जाता था। इसी तरह शहरी क्षेत्र में भी एक मतदान केन्द्र पर जो मतदेय स्थल बनाये जाते थे उनमें पूरे के पूरे मोहल्ले के लोगों को मतदान करना होता था। यह व्यवस्था 1957 में भी लागू रही लेकिन वर्ष 1962 के चुनाव आते-आते इसमें कुछ परिवर्तन किया गया। इस समय पर चुनावी व्यवस्था में काफी सुधारात्मक कदम उठाया जा चुका था। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में मतदान केन्द्र तो कई गांवों के बीच एक ही बनाया जाता था लेकिन वहां पर वोट डालने के लिए मतदेय स्थल अलग-अलग ग्राम पंचायतवार बना दिये जाते थे। ऐसे में मतदाता को अपने गांव के लिए बने मतदेय स्थल में जाकर वोट डालना होता था। इसी तरह शहरी क्षेत्र में बड़े मोहल्लों को दो-तीन भागों में बांटकर मतदेय स्थल बनाये जाने लगे। यह व्यवस्था भी अगले कई चुनावों में चली।

धीरे-धीरे जनसंख्या बढ़ने के साथ ही मतदाताओं की संख्या में भी काफी बढ़ोत्तरी हो गयी। इसके चलते गांववार बनाये जाने वाले मतदेय स्थलों पर काफी लम्बी लाइनें लगने लगीं और अपने चहेते प्रत्याशी के पक्ष में पहले वोट डालने को लेकर मारपीट तक होने लगी।

इस व्यवस्था के बाद 1977 के चुनाव से मतदेय स्थल पर मतदाताओं की संख्या का निर्धारण किया जाने लगा। उस समय एक मतदेय स्थल पर 800 मतदाता रखे गये और इससे ज्यादा मतदाता होने पर अलग मतदेय स्थल बनाने की परम्परा की शुरुआत हुई। शहरी क्षेत्र में भी यही व्यवस्था लागू की गयी। यह व्यवस्था 1989 के लोकसभा चुनाव तक लागू रही और फिर 1991 के लोकसभा व विधानसभा चुनाव में एक मतदेय स्थल पर 900 मतदाता रखे जाने लगे। इसके बाद 1998 के लोकसभा चुनाव में इसे एक हजार कर दिया गया। 1999 में भी यही व्यवस्था रही और फिर वर्ष 2002 के विधानसभा चुनाव में इसके बढ़ाकर 1200 कर दिया गया। फिर वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में एक बूथ पर 1300 मतदाता कर दिये गये। इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में एक मतदेय स्थल पर 1500 मतदाता रखे जाने लगे। यही व्यवस्था वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव, वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भी यही संख्या निर्धारित रही।

समय के साथ बदलती चुनाव प्रक्रिया-10वीं व अंतिम कड़ी

वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले जनवरी में मतदाता सूची प्रकाशन के समय एक मतदेय स्थल पर 1500 मतदाता रखे गये लेकिन सूची प्रकाशन व नामांकन के बीच एक-एक बूथ पर इतने मतदाता बढ़ गये कि निर्वाचन आयोग को इतने बूथ बढ़ाना काफी मुश्किल काम हो गया। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने एक बूथ पर 1700 तक मतदाता रखने की अनुमति दे दी। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में एक बूथ पर 1500 मतदाता ही रखने का आदेश दिया गया।

वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में यह संख्या 1400 रखी गयी लेकिन वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में इस संख्या को घटाकर प्रति मतदेय स्थल 1200 मतदाता कर दिया गया। मौजूदा लोकसभा चुनाव 2024 में भारत निर्वाचन आयोग ने इस संख्या में परिवर्तन करते हुए प्रत्येक मतदेय स्थल पर 1500 मतदाता रखने के निर्देश दिये हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव की घोषणा के समय 16 मार्च को प्रदेश में 92587 मतदान केन्द्रों पर 162041 मतदेय स्थल हो गये। इसमें 162012 मूल तथा 29 सहायक मतदेय स्थल शामिल हैं। हालांकि अभी मतदाता सूची में नाम शामिल करने का काम जारी है। ऐसे में मतदान होने तक मतदेय स्थलों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो सकती है।

लोकसभा चुनाव के समय एक मतदेय स्थल पर 1500 मतदाता रखने के पीछे निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी का कहना है कि इस बार सभी मतदेय स्थलों पर ईवीएम के साथ वीवी पैट का प्रयोग किया जा रहा है और एक वीवी पैट में अधिकतम 1700 पर्ची ही काटी जा सकती हैं। इसमें सात पर्ची वीवी पैट को शुरू करने में अपने आप कट जाती हैं। इसके बाद 50 वोटों का मॉकपोल कराया जाता था। 1500 के मानक वाले मतदेय स्थल पर भी मतदाताओं की संख्या 1550 तक पहुंच सकती है। ऐसे में सभी वोटों की पर्ची अवश्य कट सके इसलिए यह मानक 1500 का रखा गया है।

आयोग के नये मानकों के आधार पर अ[illegible] मतदाताओं के लिए मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने व भी काम चल रहा है। इसमें पेयजल, शौचालय, रैम्प शेड, विद्युत व्यवस्था आदि शामिल हैं। इसी तर[illegible] आयोग की ओर से अभी भी चुनाव प्रक्रिया में लगातार सुधार किया जा रहा है ताकि मतदाताओं व मताधिकार बोझ न लगे और वह अपना कर्तव्य समझकर मतदान में शामिल हों।